>

Title: Need to provide copies of judgements of courts in Hindi and regional languages.

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): देश की 125 करोड़ की आबादी में लगभग आधे लोगों को कभी न कभी किसी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है तथा कई बार लोअर कोर्ट से माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक न्याय की आशा में जाना पड़ता है। न्यायिक प्रक्रिया में एक छोटी से विसंगति यह है कि माननीय न्यायालय के निर्णय अधिकांशतः अंग्रेजी भाषा में आते है। यदि कोई व्यक्ति किसी न्यायालय में न्याय की आशा में उपस्थित है और उसके प्रकरण का निर्णय उसी के समक्ष माननीय न्यायालय के द्वारा किया गया है तो अंग्रेजी भाषा में होने के कारण उसको यह आभास नहीं हो पाता है कि उक्त प्रकरण में उसे न्याय मिला या नहीं। जब वह निर्णय की प्रति माननीय न्यायालय के प्रतिलिपिकार से प्राप्त करता है तो काश्मीर से कन्याकुमारी तक तथा महाराष्ट्र से मिजोरम तक उक्त निर्णय की प्रति उसे अंग्रेजी भाषा में प्राप्त होती है व दुर्भाग्य से उसे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं है तो वह जब तक किसी दुभाषिये के पास न जाए उसे यह पता ही नहीं चल पाता है कि उसके प्रकरण में क्या निर्णय हुआ है। सिविल प्रकरण में कई बार निर्णय से पक्षकार को अवगत होने में ही काफी समय लग जाता है।

मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि किसी न्यायालय निर्णय की नकल पक्षकार लेने हेतु आवेदन करें तो उक्त आवेदन में यह विकल्प होना चाहिए कि किस भाषा में लेना चाहता है, उसी भाषा में उसे निर्णय की प्रति उपलब्ध कराई जाए। तकनीकी रूप से क्षेत्रीय भाषाओं में शब्दांश का अर्थ कुछ अलग होता है लेकिन ऐसी स्थिति में यह सुझाव भी प्रेषित किया जा सकता है कि माननीय न्यायालय के निर्णय की कापी अंग्रेजी के साथ-साथ पक्षकार को उसके द्वारा मांगी गई क्षेत्रीय भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए।